

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PREETI पुत्र/पुत्री श्री RAJIV KUMAR टोकन नं. -820 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PREETI पुत्र/पुत्री श्री RAJIV KUMAR टोकन नं. 820 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PREETI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJIV KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,
-----------------------------------------------	------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/914

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री PREETI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJIV KUMAR टोकननं. 820 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5324, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PREETI पुत्र/पुत्री श्री RAJIV KUMAR टोकन नं. -820 द्वारा अपील के निर्णय बारे।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PREETI पुत्र/पुत्री श्री RAJIV KUMAR टोकन नं. 820 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही। तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए।

अतः अपीलार्थी श्री PREETI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJIV KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP,
-----------------------------------------------	--------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0न0फ0/ए0ई0ओ0/2024/914

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री PREETI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJIV KUMAR टोकननं. 820 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5324, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM BIR SINGH पुत्र/पुत्री श्री RAM CHANDRA SINGH टोकन नं. -885/4577 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM BIR SINGH पुत्र/पुत्री श्री RAM CHANDRA SINGH टोकन नं. 885/4577 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM BIR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHANDRA SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/915

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RAM BIR SINGH- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHANDRA SINGH टोकननं. 885/4577 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 0 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RUBI BISWAS पुत्र/पुत्री श्री CHITOO BISWAS टोकन नं. - 1061 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RUBI BISWAS पुत्र/पुत्री श्री CHITOO BISWAS टोकन नं. 1061 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RUBI BISWAS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHITOO BISWAS द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/917

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RUBI BISWAS- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHITOO BISWAS टोकननं. 1061 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4934, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GEETA पुत्र/पुत्री श्री SANTOSH KUMAR टोकन नं. -1350 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GEETA पुत्र/पुत्री श्री SANTOSH KUMAR टोकन नं. 1350 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GEETA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANTOSH KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card,,YASHI COPY, BANK COPY
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/918

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री GEETA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANTOSH KUMAR टोकननं. 1350 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4600, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RANI पुत्र/पुत्री श्री HARI OM टोकन नं. -1351 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RANI पुत्र/पुत्री श्री HARI OM टोकन नं. 1351 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARI OM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, MEMBERSHIP CARD, YASHI COPY
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/919

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RANI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARI OM टोकननं. 1351 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5567, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RASHMITA HARI पुत्र/पुत्री श्री SANJAY टोकन नं. -1478 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RASHMITA HARI पुत्र/पुत्री श्री SANJAY टोकन नं. 1478 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RASHMITA HARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANJAY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,HOUSE PHOTO
-----------------------------------------------	-------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/920

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RASHMITA HARI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SANJAY टोकननं. 1478 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5538, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AAMNA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD. TABREJ टोकन नं. -1489 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AAMNA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHD. TABREJ टोकन नं. 1489 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AAMNA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. TABREJ द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, BANK COPY, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/921

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री AAMNA KHATOON- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD. TABREJ टोकननं. 1489 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5952, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AKBAR ALI पुत्र/पुत्री श्री MAKSUD ALAM टोकन नं. - 1512 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AKBAR ALI पुत्र/पुत्री श्री MAKSUD ALAM टोकन नं. 1512 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AKBAR ALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAKSUD ALAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,BANK COPY, BIRTH CERTIFICATE,ABORTION PAPER
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/922

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री AKBAR ALI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MAKSUD ALAM टोकननं. 1512 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4966, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DEEPALI पुत्र/पुत्री श्री SHANKER BHADRA टोकन नं. - 1578 द्वारा अपील के निर्णय बारे।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DEEPALI पुत्र/पुत्री श्री SHANKER BHADRA टोकन नं. 1578 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही। तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए।

अतः अपीलार्थी श्री DEEPALI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHANKER BHADRA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	------------------------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/923

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री DEEPALI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHANKER BHADRA टोकननं. 1578 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5386, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री CHAMAN पुत्र/पुत्री श्री HARBHAJAN SINGH टोकन नं. - 1824 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री CHAMAN पुत्र/पुत्री श्री HARBHAJAN SINGH टोकन नं. 1824 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री CHAMAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARBHAJAN SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, ,BANK COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 924

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री CHAMAN- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARBHAJAN SINGH टोकननं. 1824 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5227, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GEETA DEVI NAGAR पुत्र/पुत्री श्री RAJINDER NAGER टोकन नं. -2031 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GEETA DEVI NAGAR पुत्र/पुत्री श्री RAJINDER NAGER टोकन नं. 2031 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GEETA DEVI NAGAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJINDER NAGER द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/925

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री GEETA DEVI NAGAR- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJINDER NAGER टोकननं. 2031 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4782, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411684, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUREKHA EKKA पुत्र/पुत्री श्री BHOLA SINGH टोकन नं. - 2167 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUREKHA EKKA पुत्र/पुत्री श्री BHOLA SINGH टोकन नं. 2167 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUREKHA EKKA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHOLA SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, ,BANK COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/926

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SUREKHA EKKA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHOLA SINGH टोकननं. 2167 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5366, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.सी.क, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAJESHWARI SHAKIYA पुत्र/पुत्री श्री SONE LAL SHAKIYA टोकन नं. -2235 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAJESHWARI SHAKIYA पुत्र/पुत्री श्री SONE LAL SHAKIYA टोकन नं. 2235 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त बर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAJESHWARI SHAKIYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SONE LAL SHAKIYA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, BANK COPY, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 927

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RAJESHWARI SHAKIYA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SONE LAL SHAKIYA टोकननं. 2235 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5478, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sukumari पुत्र/पुत्री श्री Shivan Yadav टोकन नं. -2258 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sukumari पुत्र/पुत्री श्री Shivan Yadav टोकन नं. 2258 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sukumari पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shivan Yadav द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/928

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Sukumari- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shivan Yadav टोकननं. 2258 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5368, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Arti पुत्र/पुत्री श्री Ram Prasad Yadav टोकन नं. -2259 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Arti पुत्र/पुत्री श्री Ram Prasad Yadav टोकन नं. 2259 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Arti पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Prasad Yadav द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, , YASHI COPY, BANK COPY
-----------------------------------------------	------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/929

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Arti- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Prasad Yadav टोकननं. 2259 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5367, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MALA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM LAKHAN टोकन नं. -2270 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MALA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM LAKHAN टोकन नं. 2270 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MALA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM LAKHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, ,PPP, BANK COPY
-----------------------------------------------	------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 930

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MALA DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM LAKHAN टोकननं. 2270 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4387, 24.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BHARTI DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM CHANDER TANTI टोकन नं. -2335 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BHARTI DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM CHANDER TANTI टोकन नं. 2335 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आवेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BHARTI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHANDER TANTI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,PPP,
-----------------------------------------------	-------------------

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

दिनांक: 09.05.2023

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/931

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री BHARTI DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHANDER TANTI टोकननं. 2335 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5925, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JAHIR UDDIN पुत्र/पुत्री श्री Ayub Ali टोकन नं. -2339 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JAHIR UDDIN पुत्र/पुत्री श्री Ayub Ali टोकन नं. 2339 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JAHIR UDDIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ayub Ali द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,CENSUS SLIP
-----------------------------------------------	--------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/932

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री JAHIR UDDIN- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ayub Ali टोकननं. 2339 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6007, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

डी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411684, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAHSUD ALAM पुत्र/पुत्री श्री Mohd Anwar Ali टोकन नं. - 2380 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAHSUD ALAM पुत्र/पुत्री श्री Mohd Anwar Ali टोकन नं. 2380 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAHSUD ALAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Anwar Ali द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,
-----------------------------------------------	--------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/933

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MAHSUD ALAM- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Anwar Ali टोकननं. 2380 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5732, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411684, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AMAR NATH पुत्र/पुत्री श्री RAM BACHAN टोकन नं. - 2415 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AMAR NATH पुत्र/पुत्री श्री RAM BACHAN टोकन नं. 2415 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AMAR NATH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM BACHAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, MEMBERSHIP CARD, CENSUS SLIP, YASHI COPY
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

दिनांक: 09.05.2023

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/934

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री AMAR NATH- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM BACHAN टोकननं. 2415 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5445, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Ram gati rajbhar पुत्र/पुत्री श्री Bhjuram टोकन नं. -2452 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Ram gati rajbhar पुत्र/पुत्री श्री Bhjuram टोकन नं. 2452 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Ram gati rajbhar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhjuram द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-------------------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/935

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Ram gati rajbhar- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bhjuram टोकननं. 2452 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4945/4937, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री OM PRAKASH टोकन नं. -1041 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री OM PRAKASH टोकन नं. 1041 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री OM PRAKASH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/916

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SITA DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री OM PRAKASH टोकननं. 1041 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5311, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Beauty पुत्र/पुत्री श्री Sanjay singh टोकन नं. -2487 द्वारा अपील के निणर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Beauty पुत्र/पुत्री श्री Sanjay singh टोकन नं. 2487 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Beauty पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sanjay singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,
-----------------------------------------------	------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 936

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Beauty- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sanjay singh टोकननं. 2487 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5922, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SURESH GUPTA पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL टोकन नं. -2510 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SURESH GUPTA पुत्र/पुत्री श्री BABU LAL टोकन नं. 2510 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SURESH GUPTA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, CENSUS COPY, YASHI COPY
-----------------------------------------------	--------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/937

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SURESH GUPTA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABU LAL टोकननं. 2510 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5510, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करारिधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel.: 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax: 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JYOTISH TANTI पुत्र/पुत्री श्री Gauri Tanti टोकन नं. -2522 द्वारा अपील के निर्णय बारे।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JYOTISH TANTI पुत्र/पुत्री श्री Gauri Tanti टोकन नं. 2522 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही। तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए।

अतः अपीलार्थी श्री JYOTISH TANTI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gauri Tanti द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, ,
-----------------------------------------------	--------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/938

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री JYOTISH TANTI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gauri Tanti टोकननं. 2522 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5470, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAGHUBIR SINGH पुत्र/पुत्री श्री ARJUN SINGH टोकन नं. -2542 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAGHUBIR SINGH पुत्र/पुत्री श्री ARJUN SINGH टोकन नं. 2542 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAGHUBIR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ARJUN SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, MEMBERSHIP CARD, ESIC CARD, COURT MEDICAL, CASE COPY, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/939

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RAGHUBIR SINGH- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ARJUN SINGH टोकननं. 2542 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5270, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PAWAN KUMAR पुत्र/पुत्री श्री LAXMI SHAH टोकन नं. - 2555 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PAWAN KUMAR पुत्र/पुत्री श्री LAXMI SHAH टोकन नं. 2555 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PAWAN KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMI SHAH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, YASHI COPY
-----------------------------------------------	------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/940

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री PAWAN KUMAR- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMI SHAH टोकननं. 2555 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5537, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PRAMOD KUMAR पुत्र/पुत्री श्री RAM NARAYAN टोकन नं. -2568 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PRAMOD KUMAR पुत्र/पुत्री श्री RAM NARAYAN टोकन नं. 2568 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PRAMOD KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM NARAYAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,YASHI COPY, BANK COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/941

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री PRAMOD KUMAR- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM NARAYAN टोकननं. 2568 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4944, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JEEVAN THAPA पुत्र/पुत्री श्री JEETE THAPA टोकन नं. - 2660 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JEEVAN THAPA पुत्र/पुत्री श्री JEETE THAPA टोकन नं. 2660 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JEEVAN THAPA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JEETE THAPA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,BANK COPY, REHABILITATION FORM
-----------------------------------------------	------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 942

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री JEEVAN THAPA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JEETE THAPA टोकननं. 2660 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5098, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृत: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411654, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Sambhu Sharma पुत्र/पुत्री श्री Pasupati Sharma टोकन नं. - 2726 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Sambhu Sharma पुत्र/पुत्री श्री Pasupati Sharma टोकन नं. 2726 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Sambhu Sharma पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Pasupati Sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,GAS COPY, YASHI COPY, BANK COPY
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/943

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Sambhu Sharma- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Pasupati Sharma टोकननं. 2726 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5292, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Lalta devi पुत्र/पुत्री श्री BIHARI LAL टोकन नं. -2910 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Lalta devi पुत्र/पुत्री श्री BIHARI LAL टोकन नं. 2910 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Lalta devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BIHARI LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,RWA SLIP, FAMILY PHOTO
-----------------------------------------------	----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/944

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Lalta devi- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BIHARI LAL टोकननं. 2910 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4672, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Uma mishra पुत्र/पुत्री श्री Kamni prashad pandey टोकन नं. - 2945 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Uma mishra पुत्र/पुत्री श्री Kamni prashad pandey टोकन नं. 2945 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Uma mishra पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kamni prashad pandey द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,BANK COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/945

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Uma mishra- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Kamni prashad pandey टोकननं. 2945 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4960, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHIVANI पुत्र/पुत्री श्री RAMJI LAL टोकन नं. -2977 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHIVANI पुत्र/पुत्री श्री RAMJI LAL टोकन नं. 2977 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHIVANI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMJI LAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,RWA SLIP, BANK COPY
-----------------------------------------------	-------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/946

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SHIVANI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMJI LAL टोकननं. 2977 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5733, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mohd Seruddin पुत्र/पुत्री श्री Mohd Noor टोकन नं. -3208 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mohd Seruddin पुत्र/पुत्री श्री Mohd Noor टोकन नं. 3208 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mohd Seruddin पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Noor द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,,BANK COPY, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/947

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Mohd Seruddin- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Noor टोकननं. 3208 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5704, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सोक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHASHI DEVI पुत्र/पुत्री श्री EDWARDIAN टोकन नं. -3219 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHASHI DEVI पुत्र/पुत्री श्री EDWARDIAN टोकन नं. 3219 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHASHI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री EDWARDIAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, BANK COPY, DETAIL OF FAMILY
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/948

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SHASHI DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री EDWARDIAN टोकननं. 3219 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4791, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ANIMA पुत्र/पुत्री श्री Gunadhar टोकन नं. -3254 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ANIMA पुत्र/पुत्री श्री Gunadhar टोकन नं. 3254 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ANIMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gunadhar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,
-----------------------------------------------	--------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/949

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री ANIMA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Gunadhar टोकननं. 3254 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5731, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री ARJUN MAHATO टोकन नं. - 3259 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री ARJUN MAHATO टोकन नं. 3259 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ARJUN MAHATO द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/950

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SUNITA DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ARJUN MAHATO टोकननं. 3259 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4819, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सैंक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOBINA KHATON पुत्र/पुत्री श्री AABAS टोकन नं. -3272 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOBINA KHATON पुत्र/पुत्री श्री AABAS टोकन नं. 3272 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOBINA KHATON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AABAS द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, ,BANK COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/951

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MOBINA KHATON- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री AABAS टोकननं. 3272 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5485, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAYARAVANO पुत्र/पुत्री श्री SHAHJADE SHAH टोकन नं. -3298 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAYARAVANO पुत्र/पुत्री श्री SHAHJADE SHAH टोकन नं. 3298 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAYARAVANO पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAHJADE SHAH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,PPP,Pan Card,,BANK COPY YASHI COPY
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/952

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SAYARAVANO- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAHJADE SHAH टोकननं. 3298 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5914, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MANOJ SAHU पुत्र/पुत्री श्री SUKHDEV SAHU टोकन नं. - 3310 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MANOJ SAHU पुत्र/पुत्री श्री SUKHDEV SAHU टोकन नं. 3310 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MANOJ SAHU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUKHDEV SAHU द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Ration Card, PPP, BANK COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/953

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MANOJ SAHU- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUKHDEV SAHU टोकननं. 3310 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5205, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कक्षाधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MITHUN MANDAL पुत्र/पुत्री श्री BHUVAN MANDAL टोकन नं. -3357 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MITHUN MANDAL पुत्र/पुत्री श्री BHUVAN MANDAL टोकन नं. 3357 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MITHUN MANDAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHUVAN MANDAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, Driving Licence, RWA SLIP, YASHI COPY
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 954

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MITHUN MANDAL- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHUVAN MANDAL टोकननं. 3357 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4837, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAM AVADH KAHAR पुत्र/पुत्री श्री Ram avtar kahar टोकन नं. -3371 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAM AVADH KAHAR पुत्र/पुत्री श्री Ram avtar kahar टोकन नं. 3371 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAM AVADH KAHAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram avtar kahar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, ,GAS COPY
-----------------------------------------------	----------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/955

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RAM AVADH KAHAR- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram avtar kahar टोकननं. 3371 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7269, 07.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री meena पुत्र/पुत्री श्री tirloki टोकन नं. -3380 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री meena पुत्र/पुत्री श्री tirloki टोकन नं. 3380 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री meena पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री tirloki द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, ,Pan Card, ,REHABILITATION FORM,
-----------------------------------------------	----------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/956

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री meena- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री tirloki टोकननं. 3380 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5034, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD NAUSHAD पुत्र/पुत्री श्री MOHD HASIM टोकन नं. -3381 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD NAUSHAD पुत्र/पुत्री श्री MOHD HASIM टोकन नं. 3381 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD NAUSHAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD HASIM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/957

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MOHD NAUSHAD- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD HASIM टोकननं. 3381 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5214, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृत: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री M.d Sagir पुत्र/पुत्री श्री M.d Abbas टोकन नं. -3535 द्वारा अपील के निणर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री M.d Sagir पुत्र/पुत्री श्री M.d Abbas टोकन नं. 3535 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री M.d Sagir पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री M.d Abbas द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,BANK COPY
-----------------------------------------------	---------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/958

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री M.d Sagir- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री M.d Abbas टोकननं. 3535 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5918, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ROHIT पुत्र/पुत्री श्री MUKESH टोकन नं. -3543 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ROHIT पुत्र/पुत्री श्री MUKESH टोकन नं. 3543 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ROHIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUKESH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,BANK COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/959

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री ROHIT- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUKESH टोकननं. 3543 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5145, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NASRUL पुत्र/पुत्री श्री Vaheed टोकन नं. -3594 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NASRUL पुत्र/पुत्री श्री Vaheed टोकन नं. 3594 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NASRUL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vaheed द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP, ADMIT CARD
-----------------------------------------------	-------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/960

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री NASRUL- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Vaheed टोकननं. 3594 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 7038, 02.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHAHJAHAN KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD SHAKUR टोकन नं. -3607 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHAHJAHAN KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MOHAMMAD SHAKUR टोकन नं. 3607 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHAHJAHAN KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD SHAKUR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/961

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SHAHJAHAN KHATOON- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHAMMAD SHAKUR टोकननं. 3607 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4903, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RENU पुत्र/पुत्री श्री Shiv Narayan टोकन नं. -3685 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RENU पुत्र/पुत्री श्री Shiv Narayan टोकन नं. 3685 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RENU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shiv Narayan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
-----------------------------------------------	------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/962

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RENU- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shiv Narayan टोकननं. 3685 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4971, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JOGENDRA SINGH पुत्र/पुत्री श्री Prem Singh टोकन नं. - 3706 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JOGENDRA SINGH पुत्र/पुत्री श्री Prem Singh टोकन नं. 3706 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JOGENDRA SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prem Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/963

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री JOGENDRA SINGH- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prem Singh टोकननं. 3706 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5727, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Ali hasan पुत्र/पुत्री श्री Mohammad yamin टोकन नं. -3746 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Ali hasan पुत्र/पुत्री श्री Mohammad yamin टोकन नं. 3746 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Ali hasan पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad yamin द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,BANK COPY
-----------------------------------------------	---------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 964

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Ali hasan- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohammad yamin टोकननं. 3746 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5533, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KAUSAR KHATOON पुत्र/पुत्री श्री Md Nazim टोकन नं. - 3763 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KAUSAR KHATOON पुत्र/पुत्री श्री Md Nazim टोकन नं. 3763 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KAUSAR KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md Nazim द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,ELEC. BILL
-----------------------------------------------	----------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/965

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री KAUSAR KHATOON- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md Nazim टोकननं. 3763 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6011, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SURENDER SHARMA पुत्र/पुत्री श्री SARYUG SHARMA टोकन नं. -3782 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SURENDER SHARMA पुत्र/पुत्री श्री SARYUG SHARMA टोकन नं. 3782 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SURENDER SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SARYUG SHARMA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/966

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SURENDER SHARMA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SARYUG SHARMA टोकननं. 3782 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5645, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD AZEEM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. -3801 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD AZEEM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. 3801 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD AZEEM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,SURVEY ID, REHABILITATION FORM
-----------------------------------------------	------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/967

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MOHD AZEEM- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED टोकननं. 3801 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5318, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411684, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JEMANTI DEVI पुत्र/पुत्री श्री Ram dayal pandit टोकन नं. - 3802 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JEMANTI DEVI पुत्र/पुत्री श्री Ram dayal pandit टोकन नं. 3802 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JEMANTI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram dayal pandit द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/968

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री JEMANTI DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram dayal pandit टोकननं. 3802 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5844, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.बॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MD MUSLIM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. - 3805 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MD MUSLIM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. 3805 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MD MUSLIM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,SURVEY ID, REHABILITATION FORM
-----------------------------------------------	------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/969

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MD MUSLIM- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED टोकननं. 3805 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5319, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD SALIM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. -3806 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD SALIM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. 3806 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD SALIM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,SURVEY ID
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 970

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MOHD SALIM- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED टोकननं. 3806 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5717, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHD FAHIM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. -3808 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHD FAHIM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. 3808 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/740 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 20.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHD FAHIM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,SURVEY ID
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/971

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MOHD FAHIM- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED टोकननं. 3808 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5315, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Shamina पुत्र/पुत्री श्री Md. Jakir टोकन नं. -3936 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Shamina पुत्र/पुत्री श्री Md. Jakir टोकन नं. 3936 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Shamina पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md. Jakir द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,BANK COPY, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/972

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Shamina- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md. Jakir टोकननं. 3936 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5951, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Shabra Khatoon पुत्र/पुत्री श्री Murtooza Ali टोकन नं. -4058 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Shabra Khatoon पुत्र/पुत्री श्री Murtooza Ali टोकन नं. 4058 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Shabra Khatoon पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Murtooza Ali द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, YASHI COPY
-----------------------------------------------	--------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/973

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Shabra Khatoon- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Murtooza Ali टोकननं. 4058 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5635, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MUNNI पुत्र/पुत्री श्री MUSTAK AHAMAD टोकन नं. -4060 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MUNNI पुत्र/पुत्री श्री MUSTAK AHAMAD टोकन नं. 4060 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MUNNI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUSTAK AHAMAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/974

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MUNNI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUSTAK AHAMAD टोकननं. 4060 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5637, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SOSHRI पुत्र/पुत्री श्री Savant टोकन नं. -4068 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SOSHRI पुत्र/पुत्री श्री Savant टोकन नं. 4068 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SOSHRI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Savant द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/975

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SOSHRI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Savant टोकननं. 4068 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5640, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.सॉक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MD SAMSHAD पुत्र/पुत्री श्री Abdul Rahaman टोकन नं. - 4391 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MD SAMSHAD पुत्र/पुत्री श्री Abdul Rahaman टोकन नं. 4391 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MD SAMSHAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Rahaman द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,,
-----------------------------------------------	---------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/976

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MD SAMSHAD- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Rahaman टोकननं. 4391 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4602, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Manbhavati Devi पुत्र/पुत्री श्री Ram pal टोकन नं. -4571 द्वारा अपील के निणर्ण बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Manbhavati Devi पुत्र/पुत्री श्री Ram pal टोकन नं. 4571 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Manbhavati Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram pal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,Pan Card, ,CENSUS SLIP, BANK COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/977

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Manbhavati Devi- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram pal टोकननं. 4571 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5812, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Amirun Nisha पुत्र/पुत्री श्री Mohd Aslam टोकन नं. -4649 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Amirun Nisha पुत्र/पुत्री श्री Mohd Aslam टोकन नं. 4649 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Amirun Nisha पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Aslam द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,MEMBERSHIP CERTIFICATE, YASHI COPY, CENSUS SLIP
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/978

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Amirun Nisha- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Aslam टोकननं. 4649 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5964, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NASRIN पुत्र/पुत्री श्री Nanhe baksh टोकन नं. -4751 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NASRIN पुत्र/पुत्री श्री Nanhe baksh टोकन नं. 4751 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 27.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री NASRIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanhe baksh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

Voter Card,Aadhar Card,,,

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/979

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री NASRIN- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nanhe baksh टोकननं. 4751 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4816, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री JEEVAK KUMAR पुत्र/पुत्री श्री RAJ KUMAR टोकन नं. - 4852 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री JEEVAK KUMAR पुत्र/पुत्री श्री RAJ KUMAR टोकन नं. 4852 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री JEEVAK KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/980

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री JEEVAK KUMAR- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJ KUMAR टोकननं. 4852 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5037, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHAD SERAJ KHAN पुत्र/पुत्री श्री Mohad Niyaj khan टोकन नं. -4946 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHAD SERAJ KHAN पुत्र/पुत्री श्री Mohad Niyaj khan टोकन नं. 4946 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MOHAD SERAJ KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohad Niyaj khan द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, ,CENSUS SLIIP, GAS COPY, ID CARD, BANK COPY, REPORT CARD
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/981

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MOHAD SERAJ KHAN- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohad Niyaj khan टोकननं. 4946 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5191, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SARJUN KUMAR पुत्र/पुत्री श्री INAR LAL KUNWAR टोकन नं. -4962 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SARJUN KUMAR पुत्र/पुत्री श्री INAR LAL KUNWAR टोकन नं. 4962 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SARJUN KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री INAR LAL KUNWAR द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 982

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SARJUN KUMAR- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री INAR LAL KUNWAR टोकननं. 4962 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5441, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करारधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री VINOD PANDIT टोकन नं. - 1109/2716/2717 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री VINOD PANDIT टोकन नं. 1109/2716/2717 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VINOD PANDIT द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/983

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RITA DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VINOD PANDIT टोकननं. 1109/2716/2717 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5843, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SHYAMWATI DEVI पुत्र/पुत्री श्री CHHOTE LAL PANDIT टोकन नं. -1134/2796/2797 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHYAMWATI DEVI पुत्र/पुत्री श्री CHHOTE LAL PANDIT टोकन नं. 1134/2796/2797 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SHYAMWATI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHHOTE LAL PANDIT द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/984

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SHYAMWATI DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHHOTE LAL PANDIT टोकननं. 1134/2796/2797 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5845, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411648, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM CHOUDHARY टोकन नं. -1168/2570 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM CHOUDHARY टोकन नं. 1168/2570 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHOUDHARY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, BANK COPY, YASHI COPY, DEATIL OF FAMILY
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/985

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SUNENA DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHOUDHARY टोकननं. 1168/2570 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5336, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MEENA पुत्र/पुत्री श्री BABLU टोकन नं. -1169/3288 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MEENA पुत्र/पुत्री श्री BABLU टोकन नं. 1169/3288 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MEENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABLU द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP,
-----------------------------------------------	-------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/986

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MEENA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BABLU टोकननं. 1169/3288 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5446, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BUDH RAM पुत्र/पुत्री श्री JHABBAR PRASAD टोकन नं. - 1214/3613 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BUDH RAM पुत्र/पुत्री श्री JHABBAR PRASAD टोकन नं. 1214/3613 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BUDH RAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JHABBAR PRASAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, YASHI COPY, LABOUR CARD COPY
-----------------------------------------------	-------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/987

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री BUDH RAM- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JHABBAR PRASAD टोकननं. 1214/3613 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5907, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

वी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RANJU YADAV पुत्र/पुत्री श्री MANOJ KUMAR YADAV टोकन नं. -1299/3260 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RANJU YADAV पुत्र/पुत्री श्री MANOJ KUMAR YADAV टोकन नं. 1299/3260 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RANJU YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANOJ KUMAR YADAV द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण

Aadhar Card, Ration Card, PPP,

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

दिनांक: 09.05.2023

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/988

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RANJU YADAV- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANOJ KUMAR YADAV टोकननं. 1299/3260 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5380, 4270, 20.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के. चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAVINA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MD VAKEEL टोकन नं. -1439/2635 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAVINA KHATOON पुत्र/पुत्री श्री MD VAKEEL टोकन नं. 1439/2635 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAVINA KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD VAKEEL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, SURVEY ID, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/989

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RAVINA KHATOON- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD VAKEEL टोकननं. 1439/2635 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5200, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PARMEELA DEVI पुत्र/पुत्री श्री KALINDER NISHAD टोकन नं. -1626/2572 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PARMEELA DEVI पुत्र/पुत्री श्री KALINDER NISHAD टोकन नं. 1626/2572 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PARMEELA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KALINDER NISHAD द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,PPP, MEMBERSHIP CARD
-----------------------------------------------	-----------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 990

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री PARMEELA DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KALINDER NISHAD टोकननं. 1626/2572 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6027, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SAHABUDDIN पुत्र/पुत्री श्री MOHD ISHLAM टोकन नं. - 1692/4996 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SAHABUDDIN पुत्र/पुत्री श्री MOHD ISHLAM टोकन नं. 1692/4996 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SAHABUDDIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ISHLAM द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 991

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SAHABUDDIN- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHD ISHLAM टोकननं. 1692/4996 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5412, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KAMLESH पुत्र/पुत्री श्री HIRDESH टोकन नं. -2184/3654 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KAMLESH पुत्र/पुत्री श्री HIRDESH टोकन नं. 2184/3654 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतू बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतू सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतू विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतू व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतू भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KAMLESH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HIRDESH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,BANK COPY, YASHI COPY
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/992

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री KAMLESH- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HIRDESH टोकननं. 2184/3654 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5471, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUBHASH SINGH पुत्र/पुत्री श्री YOGESH SINGH टोकन नं. -2275/2691 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUBHASH SINGH पुत्र/पुत्री श्री YOGESH SINGH टोकन नं. 2275/2691 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUBHASH SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री YOGESH SINGH द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, Pan Card, AGREEMENT TO SEL AND PURCHASE
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 993

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SUBHASH SINGH- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री YOGESH SINGH टोकननं. 2275/2691 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5342, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ABBAS KHAN पुत्र/पुत्री श्री Noor mohmmad टोकन नं. - 2359/4581 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ABBAS KHAN पुत्र/पुत्री श्री Noor mohmmad टोकन नं. 2359/4581 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री ABBAS KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Noor mohmmad द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, ,
-----------------------------------------------	-----------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/994

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री ABBAS KHAN- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Noor mohmmad टोकननं. 2359/4581 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5194, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री HEERALAL YADAV पुत्र/पुत्री श्री Maheshwari Prasad Yadav टोकन नं. -2451/2453 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री HEERALAL YADAV पुत्र/पुत्री श्री Maheshwari Prasad Yadav टोकन नं. 2451/2453 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री HEERALAL YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Maheshwari Prasad Yadav द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 995

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री HEERALAL YADAV- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Maheshwari Prasad Yadav टोकननं. 2451/2453 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5187, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Rubi Dev पुत्र/पुत्री श्री Sanjay Singh टोकन नं. - 2495/2496/1585 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Rubi Dev पुत्र/पुत्री श्री Sanjay Singh टोकन नं. 2495/2496/1585 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Rubi Dev पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sanjay Singh द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,
-----------------------------------------------	------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 996

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Rubi Dev- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Sanjay Singh टोकननं. 2495/2496/1585 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5921, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNIL MANDAL पुत्र/पुत्री श्री SUDHIR MANDAL टोकन नं. -2505/3244 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNIL MANDAL पुत्र/पुत्री श्री SUDHIR MANDAL टोकन नं. 2505/3244 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNIL MANDAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUDHIR MANDAL द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card,, PPP, BANK COPY
-----------------------------------------------	------------------------------------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 997

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SUNIL MANDAL- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SUDHIR MANDAL टोकननं. 2505/3244 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4680, 28.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Ram nath टोकन नं. - 2849/2133 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Ram nath टोकन नं. 2849/2133 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MAMTA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram nath द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card,PPP,RWA SLIP
-----------------------------------------------	-------------------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/998

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MAMTA DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram nath टोकननं. 2849/2133 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5345, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mamta पुत्र/पुत्री श्री Virendra Kumar टोकन नं. -2871/4827 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mamta पुत्र/पुत्री श्री Virendra Kumar टोकन नं. 2871/4827 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mamta पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Virendra Kumar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,
-----------------------------------------------	--------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/999

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Mamta- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Virendra Kumar टोकननं. 2871/4827 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5193, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



फरीदाबाद नगर निगम

बी.के.चौक, एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001, हरियाणा-इंडिया
Tel : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री GOKUL JANA पुत्र/पुत्री श्री KAMAL JANA टोकन नं. - 2922/2923 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री GOKUL JANA पुत्र/पुत्री श्री KAMAL JANA टोकन नं. 2922/2923 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री GOKUL JANA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KAMAL JANA द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Ration Card, PPP, BANK COPY, YASHI COPY
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 1000

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री GOKUL JANA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KAMAL JANA टोकननं. 2922/2923 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4836, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KAMLESH DEVI पुत्र/पुत्री श्री Nathu टोकन नं. - 3043/810/3914 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KAMLESH DEVI पुत्र/पुत्री श्री Nathu टोकन नं. 3043/810/3914 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KAMLESH DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nathu द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेजों का विवरण

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1001

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री KAMLESH DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Nathu टोकननं. 3043/810/3914 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5210 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री AARTI DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAMPRASAD MAHTO टोकन नं. -3316/923 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री AARTI DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAMPRASAD MAHTO टोकन नं. 3316/923 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री AARTI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMPRASAD MAHTO द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,Pan Card, ,YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1002

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री AARTI DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMPRASAD MAHTO टोकननं. 3316/923 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5240, 03.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए-आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MUKESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Chhote lal टोकन नं. - 3578/4973 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MUKESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Chhote lal टोकन नं. 3578/4973 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MUKESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chhote lal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1003

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MUKESH KUMAR- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chhote lal टोकननं. 3578/4973 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5438, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Shajaba Begum पुत्र/पुत्री श्री Md.Vashi Akhtar टोकन नं. - 3733/3734 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Shajaba Begum पुत्र/पुत्री श्री Md.Vashi Akhtar टोकन नं. 3733/3734 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Shajaba Begum पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md.Vashi Akhtar द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card, PPP, CENSUS SLIP
-----------------------------------------------	-------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1004

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Shajaba Begum- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Md.Vashi Akhtar टोकननं. 3733/3734 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5901, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BEENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Khel bahadur टोकन नं. - 4162/1466 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BEENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Khel bahadur टोकन नं. 4162/1466 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री BEENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Khel bahadur द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, ,PPP, HOUSE PHOTO
-----------------------------------------------	--------------------------------------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 1005

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री BEENA DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Khel bahadur टोकननं. 4162/1466 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4794, 01.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MD IRSHAD पुत्र/पुत्री श्री Abdul Rahaman टोकन नं. - 4393/4394 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MD IRSHAD पुत्र/पुत्री श्री Abdul Rahaman टोकन नं. 4393/4394 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MD IRSHAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Rahaman द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,,
-----------------------------------------------	---------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 1006

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MD IRSHAD- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Rahaman टोकननं. 4393/4394 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4605, 27.04.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RAVINA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री SHAUKAT ALI टोकन नं. -870/2541/3388 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RAVINA KHATUN पुत्र/पुत्री श्री SHAUKAT ALI टोकन नं. 870/2541/3388 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री RAVINA KHATUN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAUKAT ALI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Voter Card, Aadhar Card, Ration Card, PPP, Pan Card, LABOUR CARD, ABNK COPY, YASHI COPY
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1007

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री RAVINA KHATUN- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAUKAT ALI टोकननं. 870/2541/3388 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5449, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Imtiaz Alam पुत्र/पुत्री श्री Mohd. Razi टोकन नं. -offline द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Imtiaz Alam पुत्र/पुत्री श्री Mohd. Razi टोकन नं. offline का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Imtiaz Alam पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Razi द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,SURVEY ID, YASHI COPY
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1008

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Imtiaz Alam- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Razi टोकननं. offline को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5439, 05.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MADAN पुत्र/पुत्री श्री CHANDI टोकन नं. -offline द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MADAN पुत्र/पुत्री श्री CHANDI टोकन नं. offline का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MADAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHANDI द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card, ,BANK COPY
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 1009

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MADAN- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHANDI टोकननं. offline को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 4965, 02.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mariyam पुत्र/पुत्री श्री Mohd. Ibrahim टोकन नं. -offline द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mariyam पुत्र/पुत्री श्री Mohd. Ibrahim टोकन नं. offline का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Mariyam पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Ibrahim द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Ration Card,PPP,
-----------------------------------------------	------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1010

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Mariyam- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd. Ibrahim टोकननं. offline को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6012, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Pooja Devi पुत्र/पुत्री श्री Ramnagina Tivari टोकन नं. -offline द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Pooja Devi पुत्र/पुत्री श्री Ramnagina Tivari टोकन नं. offline का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Pooja Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramnagina Tivari द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	----------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1011

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Pooja Devi- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramnagina Tivari टोकननं. offline को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6001, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Reeta Devi पुत्र/पुत्री श्री Katwaru Lal टोकन नं. -offline द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Reeta Devi पुत्र/पुत्री श्री Katwaru Lal टोकन नं. offline का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Reeta Devi पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Katwaru Lal द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,YASHI COPY
-----------------------------------------------	----------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 1012

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Reeta Devi- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Katwaru Lal टोकननं. offline को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5555, 08.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MD SAHIM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. - 3807 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MD SAHIM पुत्र/पुत्री श्री SHAIKH SHAHEED टोकन नं. 3807 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री MD SAHIM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, ,PPP,SURVEY ID,
-----------------------------------------------	------------------------------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1013

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री MD SAHIM- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHAIKH SHAHEED टोकननं. 3807 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5316, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।


क्षेत्रीय एवं करधान अधिकारी
कृत: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DINESH THAKUR पुत्र/पुत्री श्री Ram lal thakur टोकन नं. - 2521 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DINESH THAKUR पुत्र/पुत्री श्री Ram lal thakur टोकन नं. 2521 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री DINESH THAKUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram lal thakur द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,PPP,Pan Card,,YASHI COPY
-----------------------------------------------	---------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1014

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री DINESH THAKUR- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram lal thakur टोकननं. 2521 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5385, 04.05.2.023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PAPPU PANDIT पुत्र/पुत्री श्री NARAYAN टोकन नं. - 1111/2790 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PAPPU PANDIT पुत्र/पुत्री श्री NARAYAN टोकन नं. 1111/2790 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री PAPPU PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAYAN द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card,, YASHI COPY, CENSUS SLIP
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1015

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री PAPPU PANDIT- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NARAYAN टोकननं. 1111/2790 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5823, 10.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM CHOUDHARY टोकन नं. -1168/2570 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री RAM CHOUDHARY टोकन नं. 1168/2570 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री SUNENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHOUDHARY द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,,BANK COPY, YASHI COPY, FAMILY DETAIL
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद ।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 1016

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री SUNENA DEVI- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM CHOUDHARY टोकननं. 1168/2570 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5336, 04.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री TUNNI KHATOON पुत्र/पुत्री श्री Mohd Ashraf Ali टोकन नं.-2894 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री TUNNI KHATOON पुत्र/पुत्री श्री Mohd Ashraf Ali टोकन नं. 2894 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई । जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती ।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री TUNNI KHATOON पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Ashraf Ali द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card, Pan Card, Driving Licence, GAS COPY, BANK COPY, POLICE CLEARANCE CERTIFICATE, MEMBERSHIP SLIP
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1017

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री TUNNI KHATOON- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Mohd Ashraf Ali टोकननं. 2894 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6008, 11.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृत: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री KUMAR BAHADUR पुत्र/पुत्री श्री Prem bhadur G. P टोकन नं. -4735 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री KUMAR BAHADUR पुत्र/पुत्री श्री Prem bhadur G. P टोकन नं. 4735 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।


अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री KUMAR BAHADUR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prem bhadur G. P द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	PPP,
-----------------------------------------------	------


दिनांक: 09.05.2023


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1018

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री KUMAR BAHADUR- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prem bhadur G. P टोकननं. 4735 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6057, 12.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Momina पुत्र/पुत्री श्री Allauddin टोकन नं. -3812 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Momina पुत्र/पुत्री श्री Allauddin टोकन नं. 3812 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री Momina पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Allauddin द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	Aadhar Card,Ration Card,PPP,Pan Card,,YASHI COPY
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0/ए0ई0ओ0/2024/1019

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री Momina- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Allauddin टोकननं. 3812 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 6240, 16.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी

“Speaking Order”

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई0 डब्ल्यू0 एस0 फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री VIRENDER SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Ram Chander Sharma टोकन नं. -2557 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी0) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री VIRENDER SHARMA पुत्र/पुत्री श्री Ram Chander Sharma टोकन नं. 2557 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था । उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/767 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहा/रही । तदोपरान्त आयुक्त-सह-अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ/हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस सन्दर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता/चाहती।

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु विशेष रूप से गठित कमेटी द्वारा जांच उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सरकार द्वारा स्वीकृत “आवासीय योजना” में निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूरा नहीं करते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि हेतु व सरकार द्वारा स्वीकृत आवासीय योजना के अनुरूप योग्यता पूर्ण करने हेतु भी, पर्याप्त नहीं पाए गए ।

अतः अपीलार्थी श्री VIRENDER SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Chander Sharma द्वारा दायर अपील को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण	YASHI COPY, CENSUS SLIP, MEMBERSHIP CARD
-----------------------------------------------	------------------------------------------

दिनांक: 09.05.2023

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम, फरीदाबाद।

पृष्ठांकनक्रमांक : न0नि0फ0 / ए0ई0ओ0 / 2024 / 1020

दिनांक:-09.05.2023

1- श्री VIRENDER SHARMA- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ram Chander Sharma टोकननं. 2557 को उसके द्वारा दायर अपील पत्र एवं दिनांक 5735, 09.05.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी
कृते: आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी